कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश क्रमांकः शिविरा / माध्य / संस्था / बी–1 / 45001 / प्र.अ. / स्थाना / 2018 दिनांक 30.07.2018 द्वारा श्री अशोक कुमार शर्मा, प्रधानाध्यापक राजकीय माहेश्वरी माध्यमिक विद्यालय, चौमूं जिला जयपुर का स्थानान्तरण राजकीय माध्यमिक विद्यालय–कनारपुरा, गोविन्दगढ़ जिला जयपुर किया गया था जिसके विरूद्ध श्री अशोक कुमार द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 18465 / 2018 अशोक कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

याचिका में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.08.2018 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 30.07.2018 एवं श्री शर्मा के कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 04.08.2018 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन याचिकार्थी के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है।

अतः श्री अशोक कुमार शर्मा, प्रधानाध्यापक माननीय उच्च न्यायालय के आगामी / अन्तिम आदेश के अध्याधीन राजकीय माहेश्वरी माध्यमिक विद्यालय, चौमूं जिला जयपुर में प्रधानाध्यापक के पद पर पूर्ववत कार्यरत रहेंगे।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा. / संस्था / बी–2 / अशोक शर्मा / याचिका / 18465 / 2018 दिनांक 01.11.2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, जयपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) जयपुर।
6. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित कार्मिक / अपीलार्थी

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/2018 दिनांक 27.09.2018 द्वारा श्री मंगतू राम शर्मा, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सैंथली का बास, रामगढ़ जिला अलवर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय–महुआ खुर्द, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा किया गया था जिसके विरूद्ध श्री मंगतू राम द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 3952/2018 मंगतू राम शर्मा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य दायर की गई।

अपील में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.10.2018 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 27.09.2018 का क्रियान्वयन अपीलार्थी के पदस्थापन के सम्बन्ध में माननीय अधिकरण की आगामी सुनवाई तक स्थगित किया गया है।

अतः माननीय अधिकरण के आदेश की अनुपालना में श्री मंगतू राम शर्मा माननीय अधिकरण के आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्याधीन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सैंथली का बास, रामगढ़ जिला अलवर में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रहेंगे एवं श्री बुधराम, प्रधानाचार्य का समायोजन माननीय अधिकरण के आगामी/अन्तिम निर्णयाधीन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महुआ खुर्द, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में प्रधानाचार्य के पद पर किया जाता है।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/मंगतूराम शर्मा/अपील/3952/2018 दिनांक 01.11.2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर/अजमेर संभाग।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, अलवर/भीलवाड़ा।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, अलवर/भीलवाड़ा।
5. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) जयपुर।
6. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित कार्मिक/अपीलार्थी

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश क्रमांकः शिविरा / माध्य / संस्था / बी–1 / 45001 / प्र.अ. / स्थाना / 2018 दिनांक 30.07.2018 द्वारा श्री रामलाल भील, प्रधानाध्यापक राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, बच्छखेड़ा, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा का स्थानान्तरण राजकीय माध्यमिक विद्यालय उदयराम जी का गुढ़ा, माण्ड़ल जिला भीलवाड़ा किया गया था जिसके विरूद्ध श्री रामलाल द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 3029 / 2018 रामलाल भील बनाम श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान व अन्य दायर की गई।

अपील में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.09.2018 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 30.07.2018 का क्रियान्वयन अपीलार्थी के पदस्थापन के सम्बन्ध में माननीय अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है।

अतः श्री रामलाल भील, प्रधानाध्यापक माननीय अधिकरण के आगामी / अन्तिम आदेश के अध्याधीन राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, बच्छखेड़ा, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में प्रधानाध्यापक के पद पर पूर्ववत कार्यरत रहेंगे एवं श्री ओमप्रकाश खटीक, प्रधानाध्यापक राबामावि बच्छखेड़ा, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा का समायोजन माननीय अधिकरण के आगामी / अन्तिम निर्णय के अध्याधीन राजकीय माध्यमिक विद्यालय उदयराम जी का गुढ़ा, माण्ड़ल जिला भीलवाड़ा किया जाता है।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा. / संस्था / बी–2 / रामलाल भील / अपील / 3029 / 2018 दिनांकः 01.11.2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर संभाग।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, भीलवाड़ा।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, भीलवाड़ा।
5. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
6. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित कार्मिक / अपीलार्थी

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश कमांक शिविरा / माध्य / संस्था / बी–2 / 45002 / प्रधानाचार्य / डीपीसी 17–18 / आर.आर. / 2018 दिनांक 18.01.2018 द्वारा श्री जयमल राम सैनी को पदोन्नति उपरान्त जरिए काउन्सलिंग उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प पत्र के आधार पर राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय सियाणा, आमेट जिला राजसमन्द में प्रधानाचार्य पद पर पदस्थापित किया गया था जिसके विरूद्ध श्री सैनी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 17004 / 2018 जयमल राम सैनी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 17004 / 2018 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.08.2018 द्वारा याचिका को निस्तारित करते हुए याचिकार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में उसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश पारित करते हुए यथाशीघ्र निस्तारित किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपनी पत्नी के ब्रेस्ट कैंसर रोग से पीड़ित होने, अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान के करीब 500 किमी दूर होने एवं अपनी मानसिक, शारीरिक व आर्थिक परिस्थितियों के मद्देनजर अपना पदस्थापन राउमावि दरीबा, राउमावि ठीकरिया, राउमावि रामसिंहपुरा अथवा राउमावि न्यौराणा, रामसिंहपुरा जिला सीकर में प्रधानाचार्य के किसी रिक्त पद पर किये जाने की परिवेदना की गई।

याचिकार्थी से सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन किया गया और उनके अभ्यावेदन पर राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों / परिपत्रों / नियमों के परिप्रेक्ष्य में विचार किया गया। याचिकार्थी को काउन्सलिंग उपरान्त उनके द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र में अंकित विकल्प के आधार पर ही उक्त स्थान पर पदस्थापित किया गया था। याचिकार्थी द्वारा धारित प्रधानाचार्य एवं समकक्ष का पद राज्य सेवा का पद है और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय जगमोहन बनाम सरकार प्रकरण के अनुसार राज्य सेवा का पद धारित कार्मिक की सेवाऐं सरकार अथवा विभागाध्यक्ष (जोब चार्ट के अनुसार) राज्य हित / छात्र हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी लेने हेतु सक्षम है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती। इसी अनुरूप चाहा गया अनुतोष देय नहीं होने के कारण याचिकार्थी श्री जयमल राम सैनी, प्रधानाचार्य राआउमावि सियाणा, आमेट जिला राजसमन्द का अभ्यावेदन एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सभी सम्बन्धित सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा. / संस्था / बी–2 / जयमलराम सैनी / याचिका / 17004 / 2018 दिनांक – 01.11.2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, उदयपुर संभाग।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, राजसमन्द।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (माध्यमिक शिक्षा) राजसमन्द।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
6. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. सम्बन्धित अपीलार्थी।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/2018 दिनांक 21.08.2018 द्वारा श्री हेमाराम चौधरी, प्रधानाचार्य राउमावि बुड़ली नाड़ी, सिणधरी जिला बाड़मेर का स्थानान्तरण राउमावि बलाई, शिव जिला बाड़मेर किया गया था जिसके विरूद्ध श्री हेमाराम द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 14905/2018 हेमाराम चौधरी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.09.2018 द्वारा याचिकार्थी, श्री हेमाराम को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए विस्तृत तथ्यों सहित एक अभ्यावेदन पेश करने और याचिकार्थी द्वारा पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश पारित करते हुए यथाशीघ्र निस्तारित किये जाने सम्बन्धी आदेश पारित किये गए।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अभिकथन किया गया कि विभाग द्वारा दिनांक 21.08.2018 को पारित आदेश द्वारा उनका स्थानान्तरण बलाई, शिव जिला बाड़मेर कर दिया गया जबकि उनके द्वारा स्थानान्तरण के सन्दर्भ में किसी प्रकार की कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई थी। साथ ही विभाग द्वारा याचिकार्थी के स्थान पर किसी अन्य प्रधानाचार्य को भी पदस्थापित नहीं किया गया। याचिकार्थी के अनुसार दिनांक 15.07.2017 को ही पदोन्नति उपरान्त काउन्सलिंग के जरिए उनका पदस्थापन उक्त स्थान पर प्रधानाचार्य पद पर किया गया था, अतः उनकी विकट पारिवारिक परिस्थितियों एवं उनके स्थानान्तरित स्थान के दूर होने को मद्देनजर रखते हुए उनका स्थानान्तरण आदेश दिनांक 21.08.2018 निरस्त किये जाने योग्य है।

याचिकार्थी से सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन किया गया और उनके अभ्यावेदन का राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया। याचिकार्थी की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर विभागीय स्थानान्तरण आदेश दिनांक 21.08.2018 को याचिकार्थी श्री हेमाराम चौधरी, प्रधानाचार्य के सम्बन्ध में एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। अतः श्री हेमाराम चौधरी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बुड़ली नाड़ी, सिणधरी जिला बाड़मेर में प्रधानाचार्य के पद पर पूर्ववत कार्यरत रहेंगे। सभी सम्बन्धित सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/हेमाराम/याचिका/14905/2018 दिनांक: 01.11.2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जोधपुर संभाग।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, बाड़मेर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय बाड़मेर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जोधपुर/जयपुर।
6. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड हेतु।
8. सम्बन्धित कार्मिक को आदेश की पालनार्थ।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)